तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/2812/2003/जोधपुर ताजू खां व अन्य बनाम फकीर खां व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.8.19	**खण्डपीठ** **श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री विरेन्द्र सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलांटस श्री सोहनपाल सिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 **<u>निर्णय</u>** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06-05-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पा0/वादी फकीर मोहम्मद ने एक दावा अंतर्गत धारा 88,89 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, फलौदी के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पो0/वादी के पिता मारू खां व अपीलांट/प्रतिवादी ताजु खां के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं0 177 रकबा 340 बीघा 7 बिस्वा, ख0न0 38 र कबा 250 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 175 रकबा 14 बिस्वा व ख0न0176 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि ग्रम घटियाली में आई थी (जिसे आगे विवादित आराजी कहा जायेगा)। काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से ही रेस्पो0/ वादी अपेन हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। पैमाइश के समय राजस्व कर्मचारियेां की भूल से उक्त आराजी का पर्चा लगान अपीलांट/प्रतिवादी ताजू खां के नाम जारी कर दिया परन्तु विवादित आराजी के आधे हिस्से पर कब्जा काश्त रेस्पो0/वादी का ही चला आ रहा है। इसलिए उसे 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/2812/2003/जोधपुर ताजू खां व अन्य बनाम फकीर खां व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का निवेदन किया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2001 से रेस्पो0/वादी का वाद खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2001 से ग्रसित होकर रेस्पो0/अपीलांट फकीर मोहम्मद ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2003 से स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2001 को अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2003 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील में सुनी गयी । योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विवादित आराजी संयुक्त परिवार की आराजी नहीं है। ताजू खां व मारू खां का आपस में कोई पारिवारिक सबंध नहीं है। इसलिए विवादित आराजी पर संयुक्त कब्जा काश्त होना संभव ही नहीं है। विवादित आराजी की खातेदारी सेटलमेंट के समय से ही अपीलांट ताजू खां को प्राप्त हुई है और लगभग 25 वर्ष बाद अति विलम्ब से रेस्पो0/वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया जो चलने योग्य ही नहीं था। जिसे परीक्षण न्यायालय ने भी अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2001 खारिज कर दिया था। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि रेस्पो0 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/2812/2003/जोधपुर ताजू खां व अन्य बनाम फकीर खां व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जिससे विवादित आराजी के 1/6 हिस्से पर सेटलमेंट के समय से उसका कब्जा काश्त साबित होता हो। सेटलमेंट के समय से विवादित आराजी पर अपीलांट ताजू खा रिकार्डेड टिनेन्ट है उसका सेटलमेंट व उसक बाद बदस्तूर कब्जा काश्त दस्तावेजी साक्ष्यों से चला आ रहा है। अतः रेस्पो0 1/6 हिस्से का अपने आपको संयुक्त खातेदार घोषित करवाने का अधिकार नही रखता है। विवादित आराजी पर राजस्व रिकार्ड में कभी भी रेस्पो0 का कब्जा काश्त नहीं रहा इसलिए एडवर्स पजेशन के नियम भी इस पर लागू नहीं होते है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपीलांट ताजू खां ने अपने जीवनकाल में ही मौजूदा प्रकरण प्रारम्भ होने से बहुत पहले ही विवादित आराजी का पारिवारिक बंटवारा कर अलग-अलग अपने पुत्रों को बाट दी है और पारिवारिक बंटवारे के आधार पर तत्कालीन सरपंच द्वारा नामांतरकरण भी पारित करवाया लिया था। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 1989 आर0आर0डी0 पेज 750 बी, 1998 आर0आर0डी0 पेज 616, 2001 आर0आर0डी0 पेज 180, 1985 आर0आर0डी0 पेज 247 सी, 2000 आर0आर0डी0 पेज 306, 2001 आर0बी0जे0 पेज 603, 2001 आर0आर0टी0 पेज 957 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि ताजू खां रिश्ते में रेस्पो0 का चाचा लगता है था इसलिए कर्ताखानदान होने के कारण पैमाइश के वक्त पर्चा लगान अकेले ताजू खां के नाम जारी कर दिया गया। रेस्पो0 के पिता मारू खां देहांत संवत 2005 में हेा गया इस कारण रेस्पो0 के अवयस्क होने के कारण अपीलांट ताजू खां के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी। ताजू खां द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 व 3 को उनका 1/6-1/6 हिस्सा भूमि का हस्तांतरण कर दर्ज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/2812/2003/जोधपुर ताजू खां व अन्य बनाम फकीर खां व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करवा दी परन्तु रेस्पो0 1 फकीर मोहम्मद के 1/6 हिस्सा की भूमि में नाम दर्ज नहीं करवाया। परीक्षण न्यायालय में रेस्पो0 ने साबित कर दिया था कि पैमाइश के वक्त व काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय वह बहैसियत काश्तकार कब्जा काश्त चला आ रहा था। इसके अलावा विवादित भूमि पर रेस्पो0 की रहवासीय ढाणी एवं बाडे बने हुये है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर रेस्पो0 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार होना साबित हेाता है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अपीलांट ताजू खां के नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से मात्र पर्चा लगान जारी होने से रेस्पो0 को उसके हक व अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता है। परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत पर्चा गिरदावरी में भी रेस्पो0 का नाम दर्ज है। इस आधार पर भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी रेस्पो0 वादग्रस्त भूमि खातेदार कृषक है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में पर्चा लगान परिवार के किसी सदस्य कर्ता के नाम आज जाने से अन्य सदस्यों के हित समाप्त नहीं किये जा सकते है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 1996 आर0आर0डी0 पेज 535, 538 2008 आर0बी0जे0 पेज 41 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया । हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली, मूल वादपत्र एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने इकबाली जबावा दावा प्रस्तुत किया है जिसका अवलोकन करने के उपरांत वादी के दावे की पुष्टि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/2812/2003/जोधपुर ताजू खां व अन्य बनाम फकीर खां व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होती है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह भी प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमियां पूर्व में जागीरदारी भूमियां रही है और स्वयं जागीरदार के पुत्रों ने भी अपने बयानों में रेस्पो0/वादी के दावे की पुष्टि करते हुये माना है कि ये भूमियां फकीर खां को भी काश्त पर दी गयी थी एवं साथ ही अन्य गवाहों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इन भूमियों पर सभी का कब्जा काश्त रहा है जो उन्हें जागीरदार द्वारा दी गयी थी। ई0एक्स–3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संवत 2012–14 की खसरा गिरदावरी में भी कब्जा काश्त किसी अकेले के नाम नहीं होकर सभी चारों के नाम पर दर्ज पाये गये है। इस राजस्व रिकार्ड से भी वादी के दावे की पुष्टि होना पाया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जो पर्चा सेटलमेंट जारी किया उसमें अन्य का नाम हटाकर अकेले का नाम दर्ज कर देने मात्र से खातेदारी अधिकारों की गलत प्रविष्टियां आगे के वर्षो के राजस्व रिकार्ड में होना पाया जाता है जो विधिसंगत नहीं हैं। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण व आवश्यक है कि जैसलमेर जिला अकाल व अल्पवृष्टि से प्रभावित होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वार्षिक प्रविष्टियों का अभाव पाया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह रिकार्ड में प्रस्तुत लिखित व मौखिक साक्ष्य का पूर्ण विवेचन कर सही व विधिसम्मत रूप से पारित किया जाना पाया जाता है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप कराना उचित नहीं समझते है। परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा न्यायालया भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.5.2003 यथावत रखा जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/2812/2003/जोधपुर ताजू खां व अन्य बनाम फकीर खां व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य** **सदस्य**	